बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

आ0सं0–01/स्था० (विविध)–14/2021 11006 / न0वि0 एवं आ0वि0, पटना, दिनांक–13/10/26

राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित कर्मियों के सेवा मामलों एवं सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ की स्वीकृति एंव भुगतान से संबंधित शिकायतो की सुनवाई एवं निवारण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–7527 दिनांक–03.06.2019 द्वारा "बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019" गठित है। उक्त नियमावली के नियम 2 (छ) एवं 8 (1) में ''अपीलीय प्राधिकार'' के संबंध में प्रावधान अंकित है।

2. बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2019 के तहत विभागीय सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु श्री अनिमेष कुमार पराशर, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को **''अपीलीय प्राधिकार''** नामित किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(परमानन्द पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था० (विविध)–14/2021 11006 /न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक–13/10/26

प्रतिलिपिः– अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको)/बिहार राज्य आवास बोर्ड/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।
13.10.26